राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./एफ–116/ दिनांक

– : परिपत्र : –

राजस्थान के समस्त ग्रामों के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के रूप में कम्प्यूटर पर उपलब्ध है, जिसकी प्रतिलिपि जारी करने हेतु निजी क्षेत्र में कार्यरत साइबर कैफे को जिला कलक्टर कार्यालय से लाइसेन्स जारी कर अधिकृत किया जाता रहा है । अधिकृत साइबर कैफे से जो प्रतिलिपि जारी की जाती है वह प्रमाणित व वैध नहीं होती है । यदि किसी व्यक्ति को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति की आवश्यक होती है तो उसे साइबर कैफे द्वारा जारी प्रतिलिपि को संबंधित राजस्व पटवारी से निर्धारित शुल्क अदा कर प्रमाणित करवाना पड़ता है । इस प्रकार राजस्व अभिलेख की प्रमाणित व वैध प्रतिलिपि के लिए काश्तकार को पूर्णतः पटवारी पर ही निर्भर रहना पड़ता है ।

काश्तकारों को राज्य के किसी भी कोने में रहते हुए राजस्व अभिलेख की प्रमाणित व वैध प्रतिलिपि प्राप्त हो सके इस प्रयोजन से जिस प्रकार ई–गवर्नेन्स प्लॉन के अन्तर्गत राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाओं को नागरिक सेवा केन्द्रों पर डिजीटल हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलबध करवाये गए है उसी प्रकार डिजीटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्णतः वैध व प्रमाणित मानी जाएगी ।

भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र Information Technology Act. 2000 अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 3 एवं संशोधित आई.टी. एक्ट 2009 के बिन्दु संख्या 'ई' में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों में अब डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता प्रदान कर दी गई है । इसी परिपेक्ष्य में पायलट प्रोजक्ट में टोंक जिले की निवाई तहसील में राज्य सरकार की सहमति के बाद डिजीटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी । इसी पद्धति पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के बिन्दु संख्या 208 के तहत प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिले की एक तहसील को ऑन–लाइन किया जा कर आदिनांक डिजीटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी जारी की जाएगी। इस प्रकार कम्प्यूटर द्वारा जारी प्रति को अलग से हल्का पटवारी अथवा अन्य किसी भी राजस्व अधिकारी से प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

डिजीटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी तहसील एवं जिला कलक्टर, कार्यालय के अपना खाता केन्द्र, सीएससी/ई–मित्र के माध्यम से ही जारी होगी। जिन तहसीलों में डिजीटल हस्ताक्षर युक्त जमाबन्दी जारी की जाएगी उन तहसीलों में साइबर कैफे धारको को लाइसेन्स जारी नही किए जाएंगे व लाइसेन्स नवीनीकरण भी नही किए जांएगे।

लगातार –– 2

राज्य की जिन तहसीलों में सीएससी/ई–मित्र की संख्या पर्याप्त नही है उन स्थानों पर आमजन को अपने निकटतम स्थान पर सीएससी/ई–मित्र से प्रतिलिपि प्राप्त हो सके इस बाबत संबंधित जिला कलक्टर, एवं सूचना प्रौधोगिकी व संचार विभाग पर्याप्त संख्या में सीएससी/ई–मित्र केन्द्र स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में यदि पूर्व में साइबर कैफे लाइसेन्स धारक यदि सीएससी/ई–मित्र स्थापित करना चाहे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जिला स्तर पर LSP (Local Service Provider) को सीएससी/ई–मित्र हेतु एनआईसी द्वारा अपना खाता सर्वर पर Login ID व Pass Word निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

तहसील एवं जिला कलक्टर, कार्यालय के अपना खाता केन्द्र, द्वारा जारी होने वाली प्रतिलिपि पूर्ववत भू–अभिलेख (भू–राजस्व) नियम 1957 के प्रावधान के अनुसार ही जारी होगी तथा सीएससी/ई–मित्र के माध्यम जारी होने वाली प्रतिलिपि हेतु **शुल्क निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–** **1. सी.एस. सी. /ई–मित्र का सेवा शुल्क राशि 20/– रूपये**

2. प्रतिलिपि शुल्क शुल्क 10/– रूपये प्रति पृष्ठ ।

(प्रमुख शासन सचिव, राजस्व महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 14.02.2012 में लिए निर्णय के अनुसार) होगा।

प्रतिलिपि शुल्क 10/– प्रति पृष्ठ की दर से जिला ई–मित्र सोसाइटी द्वारा प्राप्त राशि **प्रति माह 5 तारीख** तक चालान द्वारा **बजट मद 0029 –भूराजस्व, 800–अन्य प्राप्तियां, (12)–अन्य मद** में चालान द्वारा जमा करवाएंगे।

जिला ई–मित्र सोसाइटी प्रति माह की 5 तारीख तक गत माह की राजकीय वसूली को जमा करवाने के साथ ही जमा राशि का मिलान TRA/DRA जो भी पदस्थापित हो से करवाएंगे एवं ई–मित्र/ सीएससी द्वारा वसूल की गई राशि की जांच उक्तानुसार करवाए बिना कोई भी नकल जारी नही हो सकेगी जिससे राजकीय राशि के गबन की सम्भावना नही हो।

आमजन की जानकारी हेतु जमाबन्दी इन्टरनेट पर "अपना खाता" वेबसाइट पर भी किसी भी स्थान से देखी जा सकती है जिसकी प्रति भी प्राप्त की जा सकती है किन्तु उक्त प्रति डिजीटल हस्ताक्षरित नही होगी तथा न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य नही होगी। उक्त सीएससी/ई–मित्र केन्द्रों का निरीक्षण संबंधित राजस्व अधिकारी व एनआईसी द्वारा प्रतिमाह किया जा सकेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी तहसीलवार चरणबद्ध तरीके से ऑन – लाइन की जाएगी। अन्य तहसीलों में सभी नियम/प्रकियाए पूर्वानुसार रहेंगे।

भवदीय,

(हेमन्त शेष)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

लगातार –– 3

कमांकः सम/ 14903-51 दिनांक 11-10-12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार ।
3. शासन सचिव, संचार एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।
4. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. जिला कलक्टर, समस्त को भेजकर निवेदन है कि जिले के सभी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को पालनार्थ प्रेषित करावें तथा सभी राजस्व न्यायालयों में प्रति उपलब्ध करवाते हुए पालना सुनिश्चित करवाने व तहसीलों हेतु पर्याप्त संख्या में सीएससी/ई–मित्र स्थापित करवाना सुनिश्चित करें।
7. अतिरिक्त निबन्धक (वित्त एवं लेखा), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर को जिला स्तर पर मांग के अनुसार Login ID व Pass Word निशुल्क उपलब्ध करवाने बाबत प्रेषित है।
9. संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को राविरा में प्रकाशन हेतु प्रेषित है ।
10. जिला नोड़ल अधिकारी एनएलआरएमपी/सूचना विज्ञान अधिकारी, समस्त जिला/एसीपी समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

(प्रिया भार्गव)
उप निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर